बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

सं0सं0-3/यो0-32/2017 (खण्ड) 18

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेंखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 13.6.18

विषय: **मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना के तहत राज्य के 12 जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह संचालित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना बिहार सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार को भिक्षावृति के अभिशाप से मुक्त करना है, जिसमें भिक्षुकों की पहचान कर, पहचान पत्र निर्गत करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु कई तरह के कौशल प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार से जोड़ना है। वृद्ध, अति नि:शक्त एवं लावारिस अवस्था में मिले भिक्षुकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना के तहत राज्य के 12 जिलें यथा - पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली, अररिया, किशनगंज, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मधेपुरा, औरंगाबाद एवं अरवल में भिक्षुक पुनर्वास गृह संचालित किये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव है। प्रस्तावित आवास गृह में सभी वर्ग/श्रेणी के पुरूष लाभार्थी रखे जा सकेंगे तथा उनके संचालित करने वाले गैर सरकारी संस्थाओं को The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 के तहत निबंधित कराना अनिर्वाय होगा।

2. भिक्षुकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, स्वयं सहायता समूह का गठन कर आर्थिक पुनर्वास, जीविकोपार्जन के लिए माइक्रो फाइनेन्सिंग का उपयोग, भिक्षावृति निवारण कोष का निर्माण राज्य स्तरीय स्वयं सेवी समिति द्वारा कार्यक्रम का संचालन आदि कार्यो के द्वारा भिक्षुकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तथा वृद्ध, अति नि:शक्त एवं लावारिस अवस्था में मिले भिक्षुकों को भिक्षुक पुनर्वास गृह में आवासित किया जाता है, जो वर्तमान में राज्य के 11 जिलों में यथा- पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णियॉ, भागलपुर, मुंगेर, सारण, सहरसा, रोहतास एवं नालंदा में संचालित है तथा भिक्षुक पुनर्वास गृह को और अतिरिक्त 12 जिलों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। प्रति गृह व्यय 57,00,000/- (सनतावन लाख) रू0 होगा। 12 भिक्षुक पुनर्वास गृह के लिए कुल व्यय 12x 5700000 = 68400000/- (छ: सौ चौरासी लाख) रू0 होगा।

3. इस योजना का संचालन स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर "सक्षम" द्वारा किया जायेगा। इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय होंगे।

4. वर्तमान वितीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-51 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण्-लघु शीर्ष-104-वृद्धाश्रम तथा नि:सहाय व्यक्तियों का कल्याण

उपशीर्ष-0107-भिक्षावृति निवारण योजना-0107.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, वित्त कोड- 51-2235021040107 में कुल रूपये 1020.00 लाख का योजना उदव्यय/बजट उपबंध के अधीन व्यय किया जायेगा।

5. प्रस्ताव पर संचिका संख्या-3/यो0-32/2017 (खण्ड) के टिप्पणी पृष्ट- 12/प0 पर दिनांक 07.06.2018 को माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार) 13/6/18

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :-3/यो0-32/2017 (खण्ड)/ 18 पटना, दिनांक 13/6/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/भवन निर्माण विभाग/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार) 13/6/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- : 3/यो0-32/2017 (खण्ड)/ 18 पटना-15, दिनांक- 13/6/18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार) 13/6/18

सरकार के संयुक्त सचिव।